राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

NCBC/08/10/85/2019-RW/KSP

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के साथ दिनांक 15.07.2020 की सुनवाई का कार्यवृत्त

बैठक में उपस्थित सदस्य व अधिकारीगणः-

1. श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
2. श्री राकेश कुमार, विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश
3. श्री बी.के. पति, उप सचिव, रा.पि.व.आ.
4. श्री शिव कुमार पटेल, शिकायतकर्ता

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- शिकायतकर्ता श्री शिव कुमार पटेल उपस्थित है?

श्री शिव कुमार पटेल, शिकायतकर्ताः- जी सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- पंचायती राज विभाग से कौन आया है?

श्री राकेश कुमार, विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0– पंचायती राज से हम विशेष सचिव पंचायती राज है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- अच्छा, किसको बुलाया गया था?

पी.एस., माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- सर प्रिंसिपल सैक्रेटरी साहब को पत्र भेजा गया था।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- अच्छा, विशेष सचिव साहब क्या शुभ नाम है आपका?

श्री राकेश कुमार, विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0– राकेश कुमार।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- तो आपको तो बुलाया नहीं गया था।

श्री राकेश कुमार, विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0– नहीं, एसीएस साहब माननीय मुख्यमंत्री जी की मीटिंग में है। तो इसलिये मैं उनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- तो आपको कोई अथोरिटी लेटर दिया है दिखाइये।

श्री राकेश कुमार, विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0– नहीं एक मौखिक आदेश होता है वही लेटर का काम करता है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- नहीं, तो आयोग तो मौखिक आदेश पर चलता नहीं है आयोग तो लिखित चीजों पर चलता है। मौखिक आदेश पर तो आपका विभाग चलता होगा।

श्री राकेश कुमार, विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0– नहीं, कुछ चीजे ऐसी होती है जो मौखिक होता है लेकिन रिटन में मिल जाता है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- हमको मत समझाइये। आप आयोग के समक्ष है जो पूछा जा रहा है वो बताइये। आपके पास कोई लिखित आदेश है उन्होंने आप को प्रतिनिधि बना कर भेजा है आयोग के समक्ष, कोई लिखित पत्र है आपके पास।

श्री राकेश कुमार, विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0– सर, लिखित आदेश मिल जायेगा हमको, कोई दिक्कत नही है उसमें।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- अगर आपके पास लिखित आदेश है तो उसको तुरंत मेल करिये, उसके बाद सुनवाई शुरू की जायेगी।

श्री राकेश कुमार, विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0– राइट सर, ठीक है सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- आप बिना लिखित आदेश के आ गये, आयोग से उन्होने एक्सेम्पशन भी नहीं मांगा।

श्री राकेश कुमार, विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0– नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी की मीटिंग है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- माननीय मुख्यमंत्री जी की मीटिंग में गये तो एक पत्र/ एक्सेम्पशन लेटर तो भिजवा सकते थे। आपको भेजा है तो आयोग को अवगत करा सकते थे कि मैं श्री राकेश कुमार जी को भेज रहा हूँ। हमारी तरफ से जो भी निर्णय आयोग लेगा वो राकेश कुमार ही लेंगे वो मान्य होगा।

श्री राकेश कुमार, विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0– नहीं, बिल्कुल जो निर्णय हम लोग लेंगे उसको विभाग मान्य करेगा, उस स्थिति से बैठे है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- आप कह रहे है ना लेकिन वो तो जिनको करना है उन्होंने तो लिख कर नहीं दिया है, जब वो लिखकर नहीं दिये है तो हम उसको कैसे मान लें।

श्री राकेश कुमार, विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0– अभी एसीएस साहब माननीय मुख्यमंत्री जी की मीटिंग में है और हम रिटर्न आदेश उनसे लेकर आपको मेल कर देंगे।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आः- देखिये राकेश कुमार जी, जब तक उनका अथोरिटी लेटर आपके पास नहीं होगा हम सुनवाई नही कर सकते। आप भी समझ लीजिये और अपने विभाग और उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा दीजिए कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आर्टिकल 338बी के तहत देश की पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया है और उस अधिनियम के तहत यह संवैधानिक संस्था बनी है और इस संवैधानिक संस्था में इस तरह से काम नहीं होता है। आपके विभाग का ऐसा लग रहा है जो कि देश की संवैधानिक संस्था में विश्वास ही नहीं रखता। चार-चार पत्र आपके विभाग

को भेजा गया। किसी एक पत्र का जवाब देना आप लोगों ने उचित नहीं समझा। ये संवैधानिक संस्थाओ के प्रति आप लोगों की आस्था को दर्शाता है।

श्री राकेश कुमार, विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0– नहीं सर ऐसा नही है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आ:- ऐसा ही है, 16.10.2019 को पत्र भेजा गया, 04.11.2019 को पत्र भेजा गया, 13.12.2019 को पत्र भेजा गया, 02.01.2020 को पत्र भेजा गया और इतनी बार भेजने पर भी आपके विभाग द्वारा, एसीएस के द्वारा, चाहे प्रिंसिपल सैक्रेटरी के द्वारा कोई रिप्लाई कमीशन को नहीं आया है।

श्री राकेश कुमार, विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0– जितने भी लेटर आप बता रहे है हम अभी निकलवाते है और सभी को एक सप्ताह के अंदर उन सभी के जवाब आपको भेजेंगे जो भी आपके प्रश्न है, लेटर आये सभी के।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, रा.पि.व.आ:- इन सभी पत्रों का सोमवार तक जवाब भेजिये और आयोग को सोमवार तक इसका जवाब मिल जाना चाहिये । इसके बाद अपने एसीएस साहब/प्रिंसिपल सैक्रेटरी साहब को अवगत करा दीजिए कि आयोग सुनवाई की अगली तारीख देगा और उस सुनवाई में उपस्थित रहें।

श्री राकेश कुमार, विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0– राइट सर, बिल्कुल। नमस्कार।

सुनवाई सम्पन्न।

(श्री राकेश कुमार)
विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0

(श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल)
माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

NCBC/08/01/85/2019-RW/KSP

पंचायतीराज उ0प्र0 शासन के साथ दिनांक 14–8–2020 की सुनवाई बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में उपस्थित सदस्य व अधिकारीगण :–

1. श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, मा0 सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग।
2. श्री मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. श्री बी.के. पति, उप सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग।
4. श्री शिव कुमार पटेल, शिकायतकर्ता।

अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग–नमस्कार।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, मा0 सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग– जी नमस्कार।

अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग– श्री शिव कुमार पटेल जो पंचायती राज विभाग में अपर निदेशक (पंचायत) के पद पर तैनात थे। परफार्मेन्स ग्राण्ट के वितरण में इनके द्वारा की गई अनियमितता के दृष्टिगत श्री पटेल के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी थी। प्रकरण में जांच अधिकारी की जांच आख्या के आधार पर उ0प्र0 लोक सेवा आयोग से सहमति प्राप्त करते हुए श्री पटेल की पेंशन से 10 प्रतिशत स्थायी कटौती का दण्ड देते हुए अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त करने का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया गया है। इसमें कई संदर्भ (रेफ्रेन्स) उच्च स्तर/ सी0एम0 आफिस से भी आये हैं जिन पर विभाग द्वारा स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को भी पत्र दिनांक 23.7.2020 द्वारा स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है, जो कार्यवाही इनके विरूद्ध की गयी है वह वैधानिक दृष्टि से सही है और लोक सेवा आयोग की सहमति लेने के बाद सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के बाद की गयी है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, मा0 सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग–श्री शिव कुमार पटेल जी जुड़े हैं क्या? जो शिकायतकर्ता है शिव कुमार पटेल अपनी बात 02 मिनट में एसीएस साहब के समक्ष रखे।

श्री शिव कुमार पटेल, शिकायतकर्ता– सर, मुझे बिना किसी साक्ष्य के सस्पेंड किया गया और दण्डित भी किया गया है। मैने जब साक्ष्य के रूप में अनुशासनिक कार्यवाही में 21.3.2017 को डायरेक्टर, पंचायती राज की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कमेटी

-2-

द्वारा दण्डित भी किया गया है। मैंने जब साक्ष्य के रूप में अनुशासनिक कार्यवाही में 21.3.2017 को डायरेक्टर, पंचायती राज की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कमेटी द्वारा अनुमोदित सूची जिस पर मेरे भी हस्ताक्षर हो मांगी तो संलग्नक 3 जो मेरे परिवाद के साथ हैं, 09.02.2018 का पत्र है। डायरेक्टर, पंचायती राज का, उन्होंने मुझे अवगत कराया कि निदेशालय में कार्यालय के अभिलेखों में ऐसी कोई 1798 ग्राम पंचायतों की सूची उपलब्ध नही है जिस पर श्री शिव कुमार पटेल, तत्कालिक अपर निदेशक, पंचायत के हस्ताक्षर हो और मुझे 1798 ग्राम पंचायतों के हस्ताक्षर विहिन सूची दी गयी साक्ष्य के रूप में, जिसे विधिक रूप से साक्ष्य नहीं माना जा सकता है क्योंकि अनसाइंड डाक्यूमेंट कोई लीगल स्टेटस नहीं है। सवाल है कि अगर अनसाइंड सूची के आधार पर ही पैसा बांटना था तो कमेटी की बैठक बुलाने का क्या औचित्य था। दूसरी बात की मेरे 25 बिन्दू के प्रत्यावेदन पर मा0 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने बिन्दुवार आख्या मांगी है जबकि मा0 अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग महोदय के पत्र दिनांक 23 जुलाई में बिन्दुवार आख्या नहीं दी गई है। इससे स्वतः स्पष्ट है कि शासन मेरे परिवाद का बिन्दुवार उत्तर देने में असमर्थ है क्योंकि उसके पास कोई पक्ष नहीं है मेरे साक्ष्यों का। दूसरी चीज है कि मेरे मामले में जो जांच अधिकारी बनाये गये थे श्री जितेन्द्र बहादुर सिंह जी वो मैनपुरी मिड–डे–मील घोटाले में अभियुक्त रहे हैं सी0बी0आई के द्वारा और वो जेल भी गये हुए हैं। वो कई महीने तक जेल रहे, हाईकोर्ट से उनकी जमानत खारिज हुई फिर मा0 सुप्रीम कोर्ट में उनको इस शर्त पर आंतरिक बेल दिया कि आप जनपद मैनपुरी की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे बिना सी0बी0आई कोर्ट की अनुमति के। सर संलग्नक–6, इसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश लगा है इसके अलावा ये भी कहना है कि हमारा परिवाद है उसके प्रस्तर–14 में उल्लेख है कि मुझे दिये गये आरोप–पत्र के आरोप संख्या–6 में मेरे विरूद्ध जो आरोप लगाया गया कि मैंने श्री गिरीश चन्द्र रजक, नोडल अधिकारी के साथ सांठ–गांठ करके भारी मात्रा में अनियमितता के रूप में धनराशि का वितरण कराया। यही आरोप श्री रजक पर भी लगे हैं। इस सांठ–गांठ के आरोप में श्री जितेन्द्र बहादुर सिंह ने मुझे पूर्णतया दोषी कर दिया और श्री रजक को दोष मुक्त किया है। मैं एसीएस साहब से जानना चाहता हूं कि साहब ये कैसे संभव है कि जिसके साथ कॉन्सप्रेसी का मेरे ऊपर आरोप लगा है वो दोष मुक्त हो गया और मैं दोष सिद्ध हो गया हूँ क्योंकि

Conspiracy is not a single sided तो ऐसे पक्षपात श्री जितेन्द्र बहादुर सिंह ने किया है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, मा0 सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग–आपका विषय आ गया है, शान्त रहिए।

श्री शिव कुमार पटेल, शिकायतकर्ता–जी सर।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, मा0 सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग–एसीएस साहब ये बताने के कष्ट करिये क्या ये जो श्री जितेन्द्र बहादुर सिंह पर आरोप लगा रहे हैं और कमीशन में भी इन्होंने ये इनक्लोजर दिया है क्या उनके ऊपर सी0बी0आई0 कोर्ट में मुकदमा चल रहा है?

अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग–इन बातों का प्रार्थी के वर्तमान रि–प्रजेन्टेशन से (इनकी गलती और उस गलती पर सरकार द्वारा दण्ड देने के निर्णय) से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, मा0 सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग–एसीएस साहब, ये जो बात आप कह रहे हैं इसको आप शपथ–पत्र पर दे सकते हैं।

अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग–हाँ, मैं दे सकता हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि सरकार में काम करने और निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है। उसमें सक्षम स्तर के अनुमोदन (अप्रूवल) के बाद अगर किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को दण्ड दिया गया है और अगर वह उस दण्ड (सजा) से संतुष्ट नहीं है, तो वह रि–प्रजेन्टेशन दे सकते हैं। सरकार रि–प्रजेन्टेशन पर निर्णय लेगी। इससे भी वह संतुष्ट नहीं है तो वह मा0 उच्च न्यायालय या मा0 सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं। यह इसकी प्रक्रिया है इसके अलावा वीडियो कान्फ्रेन्सिंग में इस कार्यवाही के निर्णय पर स्पष्टीकरण लिया जाए, यह उचित नहीं है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, मा0 सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग–राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आपको यह अवगत कराना चाहता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को आर्टिकल 338 बी के तहत भारत के संविधान में उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है और उसको यह अधिकार दिया गया है कि पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित अगर कोई भी मामला हो तो उसकी वो सुनवाई कर सकता है और श्री शिव कुमार पटेल ने आयोग को शिकायत की है जिसके तहत कई बार आपको पत्र भी लिखा गया और ये

सुनवाई की तिथि निर्धारित की गयी है। पिछली बार भी सुनवाई की तिथि निर्धारित की गयी थी जिस सुनवाई में आप अनुपस्थित थे, कहीं मीटिंग में व्यस्त होने के कारण आप नहीं थे। तो श्री शिव कुमार पटेल की शिकायत पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यह जानना चाहता है कि श्री जितेन्द्र बहादुर सिंह जो जांच अधिकारी थे उनके ऊपर क्या सी0बी0आई0 कोर्ट में जांच अधिकारी बनने से पहले कोई मुकदमा चल रहा था।

अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग– अगर यह सवाल आयोग के हैं और हमारे पास आते हैं, तो हम लोग शासन से सूचना एकत्रित करके आयोग को लिखित रूप में उपलब्ध (फर्निश) करा सकते हैं।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, मा0 सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग–एसीएस साहब आप न्याय के साथ बात करेंगे ना। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यह जानना चाहता है आपसे कि क्या जिसको आप लोगों ने जांच अधिकारी बनाया उसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का मुकदमा चल रहा है, कोई सी0बी0आई0 कोर्ट में मुकदमा चल रहा है ये जांच अधिकारी के बारे में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जानना चाहता है।

अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग–यह मेरी जानकारी में पहली बार आ रहा है कि आयोग इस बिन्दु पर सरकार का पक्ष जानना चाह रहा है, तो मैं इसकी सूचना इकट्ठा करके आयोग को उपलब्ध करा दूंगा। श्री पटेल के खिलाफ 2017–18 में कार्यवाही हुई थी, उस समय सक्षम स्तर से अप्रूवल लेकर कोई जांच अधिकारी बनाया गया था। उस समय क्या स्थिति थी? सी0बी0आई0 मुकदमे की आज क्या स्थिति है? इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। यह मुझे अभी संज्ञान में आया है, सूचना एकत्रित करके फिर आयोग को सबमिट करना होगा।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, मा0 सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग–तो ठीक है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आपको निर्देशित करता है कि 1 सप्ताह के अंदर श्री जितेन्द्र बहादुर सिंह जो इस भ्रष्टाचार के जांच अधिकारी थे उनके बारे में कोई उनके ऊपर विभागीय भ्रष्टाचार का मुकदमा चल रहा था या नहीं चल रहा है एक सप्ताह के अंदर आप राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को सबमिट करें।

अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग– इस सुनवाई की प्रोसीडिंग आयेगी, तो उसके एक सप्ताह के अंदर हम यह सबमिट कर देंगे।

DELL A

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, मा0 सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग–ठीक है, शपथ–पत्र पर।

अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग–ठीक है, धन्यवाद।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, मा0 सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग– धन्यवाद।

सुनवाई सम्पन्न।

Manoj 26.8.20

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पंचायतीराज विभाग,
उ0प्र0 शासन।

(कौशलेन्द्र सिंह पटेल)
मा0 सदस्य,
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग,
भारत सरकार।

DELL A

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

NCBC/08/10/85/2019–RW/KSP

पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश के साथ दिनांक 08.07.2021 की सुनवाई का कार्यवृत्त

सुनवाई में उपस्थित सदस्य एवं अधिकारीगणः–

1. श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
2. श्री रामायण यादव, सलाहकार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
3. डॉ. राकेश वर्मा, सलाहकार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
4. श्री राजकुमार, अपर निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश
5. श्री मनीष कुमार, उपनिदेशक (पं0), मेरठ मण्डल, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश
6. श्री गिरिजेश कुमार, अनु सचिव, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश शासन
7. श्री शिवकुमार पटेल, शिकायतकर्ता

सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण बिन्दुः–

1. आयोग द्वारा पूछा गया कि इस प्रकरण से संबंधित सभी मूल संगत दस्तावेज/फाईल आदि लाने के लिए कहा गया था, क्या सभी संबंधित मूल दस्तावेज/फाईल लेकर आए हैं, जिसके जवाब में अपर निदेशक, पंचायती राज द्वारा बताया गया कि सुनवाई में अपेक्षित जवाब जो आयोग को उपलब्ध कराया गया है, लेकर आए हैं। आयोग द्वारा पूछा गया कि क्या पंचायत राज, उत्तर प्रदेश शासन के अधिकारी सभी संबंधित मूल दस्तावेज/फाईल लेकर आए है जिसके जवाब में अनु सचिव, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बताया गया कि मूल फाईल सब्मिशन में है इसलिए वह लेकर नहीं आए है। आयोग द्वारा मूल दस्तावेज/फाईल न लाने का कारण शपथ–पत्र पर उपलब्ध कराने के लिए कहा गया।
2. आयोग द्वारा पूछा गया कि क्या ऐसे अधिकारी को जो किसी अन्य मामले में अभियोजित हों ओर भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा परीक्षण/प्रति परीक्षण किया जा रहा हो, तो उसे किसी अन्य मामले में जाँच अधिकारी नियुक्त किया जाना स्वस्थ कार्मिक व्यवस्था के प्रकाश में, उचित कहा जा सकता है, जिसके